राज्यपाल महोदय श्री राम नरेश यादव का अभिभाषक संघ भिण्ड के भूमिपूजन कार्यक्रम में उद्बोधन

स्थान :- भिण्ड दिनांक :- 29 मई, 2013 समय :- प्रात: 11 बजे

जिला अभिभाषक संघ भिण्ड के अभिभाषकों के बैठने के लिए भवन निर्माण के भूमिपूजन के अवसर पर अपने साथियों के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं भी अपके इस पेशे से सन् 1953 से लेकर 26 जून सन् 1975 तक जुड़ा रहा हूं एवं निष्ठा तथा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह चतुर्वेदी एवं चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने साथियों की पीड़ा, कठिनाई और आवश्यकता को महसूस किया और अपने पिताश्री की स्मृति में अभिभाषकों के बैठने के लिए भवन निर्माण कराने का एक जन हितैषी और अनुकरणीय निर्णय लिया है।

भिण्ड पवित्र नदियों सिंधु, क्वारी और चंबल से घिरा हुआ क्षेत्र है। आजादी की लड़ाई में यहां के कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आजादी के बाद भी देश की विभिन्न सेनाओं में यहां के नौजवान हजारों की संख्या में देश की सेवा कर रहे हैं परन्तु बड़े दुख की बात है कि भौगोलिक तथा पारम्परिक परिस्थितियों के कारण यहां के कुछ लोग हिंसा,डकैती और अपराधिक दुष्प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। देवी-देवताओं के प्राचीन मंदिरों और अखण्ड ज्योति के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद भिण्ड नगरी डकैती, भय और अपराध के लिए जानी जाने लगी है। यद्यपि यह बड़े संतोष की बात है कि सरकार की निरंतर कोशिशों और पुलिस की सख्ती के कारण यहां डकैतों का सफाया हो गया है और शांति का वातावरण निर्मित हुआ है परन्तु अभी यहां अपराध और भय से लोगों को पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली है।

कानून और संविधान के बावजूद आज देश व प्रदेश में अपराध,आतंकवाद और हिंसा विशेषकर महिलाओं के साथ अत्याचार, शोषण और मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार और उन्हें जलाने की घटनाएं हो रही हैं, यह गंभीर चिंता का विषय हैं। आज अपराधी इतने दुस्साहसी हो गये हैं कि उनके अंदर पुलिस, कानून या सजा का कोई भय नहीं रह गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पड़ोसी से पड़ोसी सुरक्षित नहीं हैं। रिश्ते-नातों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। जीवन में नैतिकता और चारित्रिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं रह गया है। इस विषय पर सबको

बैठकर विचार करना चाहिए। वकील सिर्फ मुकदमा लड़ने के लिए ही नहीं होता है। अभिभाषक का समाज में बड़ा दर्जा होता है। आपको भी सोचना चाहिए कि किस तरह ऐसे अपराधों को होने से रोका जाये। अविश्वास के इस वातावरण को समूल नष्ट करने में वकील और न्यायविद तथा जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं।

पुलिस अपराधी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है उसे दो चार डंडे लगा कर जेल भेज देती है इससे अपराधी को सही और पूरी नसीहत नहीं मिल पाती है।

अभिभाषक को अपने पेशे के साथ अपराध कम कैसे हों इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे देश की न्यायिक प्रणाली विश्व में बहुत प्रतिष्ठित है। यह सच है कि न्यायपालिका पर बहुत बोझ है। न्यायालयों में प्रकरणों का ढेर लगा हुआ है। हमें यह प्रयास करना है कि गरीबों, ग्रामीणों, पिछड़े लोगों और महिलाओं को जल्द न्याय मिल सके और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का जल्द निपटारा हो सके। तभी प्रदेश और देश में लोग अमन और चैन से रह सकेंगे। शांति से ओत-प्रोत एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। उचित समय पर न्याय मिलना ही न्याय होता है।

हमारे प्रदेश में अच्छे और अनुभवी अभिभाषकों की कमी नहीं है अभिभाषकों को सुविधायें और संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। न्यायिक प्रकरणों के निपटारे के लिए अभिभाषकों को शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। न्यायालयों में भीड़ तथा शोर शराबे तथा बैठने की सही व्यवस्था तथा पुस्तकालयों की उचित सुविधा नहीं होने के कारण कभी-कभी अभिभाषक अपेक्षा के अनुरूप न्याय नहीं कर पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अभिभाषकों को परिसर में बैठने की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये। मुझे आशा है कि इस भवन के निमार्ण के बाद अभिभाषक सही ढंग से केस की स्टडी कर सकेंगे और अपने मुवक्किलों को न्याय दिला सकेंगे।

मुझे खुशी है कि चौधरी वीरेन्द्र सिंह चतुर्वेदी तथा चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने भवन निर्माण का जो कार्य किया है वह सभी अभिभाषकों के लिए प्रेरणास्त्रोत सिद्ध होगा। आपने मुझे यहां बुलाया इसके लिए आप सबका धन्यवाद।

जय हिन्द।